संख्या- 3286/14-2-2018-800(159)/2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
30प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2 लखनउ, दिनांक, 18 दिसम्बर 2018

विषयः- जनपद इलाहाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 जी0टी0 रोड (कानपुर-इलाहाबाद) के किमी0 196.00 से किमी0 198.00 तक हाईकोर्ट, इलाहाबाद के पास प्रस्तावित फलाई ओवर के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 1.32585 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 106 वृक्षों/पोल (45 पोल एवं 61 वृक्ष) के पातन की अनुमति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सख्या-687/11-सी-यूपी-रोड/29596/2016, लखनऊ, दिनांक 28-9-2018 तदक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति सं0 8बी/यूपी/6/50/2018/एफ.सी/207,दिनांक21-6-2018 व विधिवत स्वीकृति सं0 8बी/यूपी/6/51/2018/एफ.सी/411 दिनांक 17-09-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इलाहाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 जी0टी0 रोड (कानपुर-इलाहाबाद) के किमी0 196.00 से किमी0 198.00 तक हाईकोर्ट, इलाहाबाद के पास प्रस्तावित फलाई ओवर के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 1.32585 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 106 वृक्षों/पोल (45 पोल एवं 61 वृक्ष) के पातन की अनुमति के संबंध में, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तों/प्रतिबंधों एवं मा0 न्यायालय के आदेशों को एतदद्वारा निम्नवत सम्मिलित करते हुये विज्ञप्ति निर्गत की जाती है:-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग के द्वारा दुगुने अवनत वन क्षेत्र (1.32585X2=2.35170 हे0) वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

(3) अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(4) परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

(5) प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जाएगा।

(6) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

(7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(9) प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा

(10) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(11) प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

(12) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(13) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(14) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(15) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(16) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(17) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से

Scanned by CamScanner

950

अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(18) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(19) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फेलिंग,लॉगिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(20) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या- 3286(1)/14-2-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

(1) अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ .सी.पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , इन्दिरा पर्यावरण भवन,110003-नयी दिल्ली ,जोरबाग रोड ,
(2) जिलाधिकारी इलाहाबाद।
(3) वन संरक्षक इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद।
(4) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद, उ0प्र0।
(5 परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण, इकाई-प्रथम, इलाहाबाद, उ0प्र0।
(6) आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव

श्री अनमोल
वेबसाइट पर अपलोड करें।

APCCF(I.T.)
03 JAN 2019

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–1227/11–सी–FP/UP/Road/29596/2016, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 19 ,2018

प्रतिलिपिः–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

2– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, इलाहाबाद एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में निहित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण, इकाई–प्रथम, इलाहाबाद–211002 को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19/12

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner